

(c) Government has received representations from the representatives of the sugar industry that consequent on decontrol there has been a steep fall of sugar prices and, hence, there should be certain regulatory measures like reduction in excise duty, resumption of monthly releases, etc., to offset their difficulties.

(d) The Government has taken note of the points mentioned in the above representations but it has been felt that in view of the fact that only three months have elapsed since the decontrol of sugar, it would be too early to pass judgement on its effects. A close watch is, however, being kept on the sugar situation and appropriate measures will be taken if required.

### Teaching of Punjabi Language in Universities

1089. SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALLA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) the number and names of the Universities in India which provides the teaching of Punjabi language upto Post Graduation;

(b) whether the Union Territories of Delhi and Chandigarh are in short of Punjabi teachers and lecturers in schools and colleges;

(c) what is the number of students in Chandigarh and Delhi who have requested to learn Punjabi language; and

(d) how many teachers have been appointed in the years 1977-78, 1978-79 in Delhi and Chandigarh to teach Punjabi language?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER):

(a) According to information available, the following five Universities provide teaching of Punjabi language upto Post Graduate level:

1. Delhi University
2. Guru Nanak Dev University

3. Jammu University
4. Punjab University
5. Punjabi University

(b) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

दिल्ली में यमुनापार के क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों में मूल सुविधाएं

- 1090 श्री गोविन्द नुषा :  
श्री एस० एस० सोमानी :  
श्री रामजीलाल सुमन :  
श्री रामदेव सिंह :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुनापार के क्षेत्र गौतमपुरी, शाहदरा, दिल्ली-53 के प्राथमिक स्कूल में प्रथम कक्षा से पांचवीं कक्षा तक के कुल छात्र कितने हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि छात्रों को जो मूल सुविधाएं मिलनी चाहियें, वे उन्हें नहीं मिल रही हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि पढ़ने के समय छात्रों को फर्ज पर बैठना पड़ता है और इसके परिणामस्वरूप मलेरिया तथा अन्य रोगों से बीमार पढ़ने का भय सदा बना रहता है ; और

(घ) इस स्कूल के छात्रों के बैठने के लिये छोटी डेस्कें तथा अन्य सुविधाएं कब तक प्रदान कर दी जायेंगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) नगर निगम, दिल्ली द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार, यमुना पार क्षेत्र गौतमपुरी, शाहदरा में बहूमपुरी 'डी' ब्लॉक में एम० सी० प्राथमिक विद्यालय नामक कक्ष एक नगर निगम प्राथमिक स्कूल है। प्राथमिक विद्यालय की संख्या की पाली में 300 बच्चे तथा शाम की पाली में भी 300 बच्चे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) बच्चे, टाट-पट्टियों पर बैठते हैं जो कि स्कूल की उपलब्ध की गई हैं। नगर निगम में उपलब्ध सूचना के अनुसार, कोई भी बच्चा मलेरिया अथवा किसी अन्य बीमारी से पीड़ित नहीं है।

(क) निगम प्राधिकारियों द्वारा स्कूल के बच्चों के उपयोग के लिए बेस्क उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

**दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों पर अधिभार लगाया जाना**

1091. श्री राम बिलास पासवान : क्या निर्माण और आवास तथा पुति और पुनर्वास मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों पर मनमाना अधिभार लगाए जाने के बारे में 28 अगस्त 1978 के अतारंकित प्रश्न सं० 4707 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मायापुरी के मध्यम आय वर्ग के 132 फ्लैटों जिनके बारे में मूल्य घोषित किए गए थे और आवेदन पत्र मंगाए गए थे, को पंजीकृत व्यक्तियों को देने की बजाए निर्माण और आवास मंत्रालय को बेचने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मंत्रालय को ये फ्लैट किस मूल्य पर बेचे गए हैं;

(ग) क्या अतारंकित प्रश्न संख्या 4707 के भाग (क) में उठाये गए प्रश्न से उपरोक्त निर्णय पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि नहीं, तो पंजीकृत व्यक्तियों से आवेदन पत्रों को आमन्त्रित करने से पूर्व यह

राजौरी गार्डन (जी-8 क्षेत्र) में मध्यम विवरण आय वर्ग के 132 फ्लैटों के विक्रय मूल्य के बारे में

निर्णय न लिये जाने के क्या कारण हैं और इस कार्य पर बेकार के व्यय और आवेदकों को हुई असुविधा के लिए किन व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया गया है ?

**निर्माण और आवास तथा पुति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :** (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में तैनात सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास की अत्यन्त कमी को पूरा करने के लिए और निधियों को बढ़ाने के लिए ताकि दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैटों के निर्माण कार्य को तेज कर सके, राजौरी गार्डन में मध्यम आय वर्ग के 132 फ्लैटों को नकद आधार पर संपदा निदेशालय को देने का निर्णय लिया गया था। इन फ्लैटों के लिए वसूल की गई कीमतें वहीं हैं जिस कीमत पर ऐसे फ्लैट जन माधारण को दिए जाते हैं। ब्योरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस निर्णय को लेने के कारण उपर्युक्त (ख) में दिए गए हैं। कोई निष्फल खर्च नहीं किया गया है क्योंकि टैगोर गार्डन के सामने राजौरी गार्डन में निर्माणाधीन 512 फ्लैटों में से 132 आवेदकों को मध्यम आय वर्ग के फ्लैट दिए गए हैं जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचार से, तुलनात्मक दृष्टि से अच्छे क्षेत्र में स्थित हैं। यद्यपि, इस प्रक्रिया से कुछ असुविधा हुई है फिर भी अब ये आवेदक तुलनात्मक दृष्टि से अच्छे क्षेत्र में आवंटन के पात्र होंगे।

| फ्लैटों का विवरण                  | फ्लैटों का टाइप            | कुर्सी क्षेत्रफल<br>(वर्गमीटर में) | भूमि का प्रीमियम | कुल कीमत  |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|-----------|
|                                   |                            | व० मी०                             | र०               | र०        |
| राजौरी गार्डन (जी-8) (तीन मंजिले) | (टाइप-ए/बी)<br>निचली मंजिल | 91.27                              | 6400.00          | 67,500.00 |
|                                   | पहली मंजिल                 | 99.96                              | 5100.00          | 63,300.00 |
|                                   | दूसरी मंजिल                | 93.72.                             | 5100.00          | 59,700.00 |
|                                   | (टाइप-‘सी’)                |                                    |                  |           |
|                                   | निचली मंजिल                | 98.55                              | 7300.00          | 72,000.00 |
|                                   | पहली मंजिल                 | 101.91                             | 5400.00          | 65,000.00 |
|                                   | दूसरी मंजिल                | 101.91                             | 5400.00          | 66,000.00 |